

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/1254

दिनांक - 06/04/23

प्रार्थीनी
1 अणदुदेवी पत्नी भेराराम
जाति जाट निवासी
जालीपा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 जोगेन्द्रसिंह 2 उगमसिंह पिसरान भेरसिंह जाति
राजपूत निवासी गरल 3 भेराराम पुत्र पुंजाराम 4
बगताशम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी जालीपा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर 5
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 134/2022

दिनांक-31/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 250/119 रकबा 0.5342 हैक्टयर व खसरा संख्या 497/119 रकबा 0.5747 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 06/04/23

क्रमांक :- रीडर/2023/1255-58

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अणदुदेवी पत्नी भेराराम जाति जाट निवासी जालीपा तहसील ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जोगेन्द्रसिंह पुत्र भेरसिंह वगैरह जाति राजपूत निवासी गरल तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर